

FORM-1
(For linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector Kota

No. /Rev.III/2017/

4350

dtd.- 18/12/2017

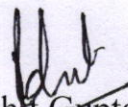
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 96.00 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Seth Bhamashah Krishi Upajmandi Samiti(grains), KOTA(Raj.) (Name of user agency) for extension of Mandi yard (purpose for diversion of forest land) in Kota district falls within Khasra no. 284/316 area 30.465 hact. , 286 area 10.61 hact. , 287 area 25.445 hact., 288 area 5.82 hact. village Anantpura.& Khasra no. 499 area 1.33 hact. , 500 area 19.49 hact. ,501 area 2.84 hact. village Ummedpura Total area 96.00 hectare. in village Ummedpura & Anantpura of Ladpura tehsil.

It is further certified that -

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 96.00 hac. of forest area proposed for diversion. The copy of minutes of meeting of the forest rights Committee (s), Mohalla Sabha (s), Sub-Divisional Level Committee (s), and the District Level Committee are enclosed as.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and consent has been given by Mohalla Samiti ,(annexed).
- The proposal does not involve recognized rights of Promotive Tribal groups and Pre-agricultural communities,

Encl; As above.


(Rohit Gupta)

District Collector & District Magistrate
Kota (Raj.)

कार्यालय जिला कलक्टर कोटा

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 12-12-2017 को जिला कलक्टर महोदय, की अध्यक्षता में सेठ भामाशाह कृषि उपजमण्डी समिति(अनाज) कोटा के दक्षिण दिशा की ओर वन विभाग की भूमि में से 96 हेक्टर भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये के लिए प्रस्ताव हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 ,नियम 2008 तथा संशोधन 2012 की क्रियान्विती हेतु गठित ,जिला स्तरीय समिति का आयोजन किया गया। जिसमें निम्न सदस्य/अधिकारीगण की उपस्थिति रही :-

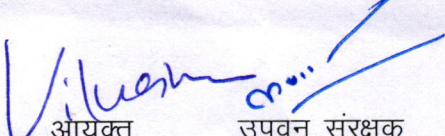
- | | |
|-------------------------|---------|
| 1- जिला कलक्टर कोटा | अध्यक्ष |
| 2- आयुक्त,नगर निगम कोटा | सदस्य |
| 3- उपवन संरक्षक , कोटा | सदस्य |

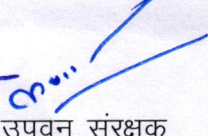
भामाशाह कृषि उपजमण्डी समिति(अनाज) कोटा के क्षेत्र विस्तार के लिये निम्न वन भूमि का आवंटन/हस्तांतरण चाहा गया है-

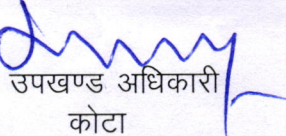
क्रम सं	नाम ग्राम	खसरा नं०	कुल रकबा (हे० में)	प्रस्तावित रकबा
1	अनन्तपुरा	284 / 316	136.97	30.465
		286	12.81	10.61
		287	26.75	25.445
		288	8.08	5.82
2	उम्मेदगंज	499	2.12	1.33
		500	36.26	19.49
		501	3.02	2.84
		योग	किता 8	96 हेक्टर

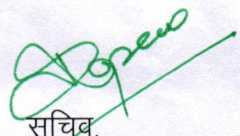
उक्त कृषि उपजमण्डी समिति ने वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत संलग्न प्रारूप में प्रमाणपत्र चाहने हेतु आवदेन किया गया है। कोटा शहर के लिये गठित मोहल्ला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11/12/17 तथा उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.11.2017 के कार्यवाही विवरण के अनुसार, वांछित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का किसी प्रकार का दावा लंबित नहीं है ,इसलिये वांछित प्रमाणपत्र जारी करने में अनापत्ति जारी की गई है।

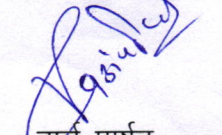
अतः भामाशाह कृषि उपजमण्डी समिति(अनाज) कोटा के दक्षिण दिशा की ओर विस्तार हेतु वनाधिकार अधिनियम की क्रियान्वनयनार्थ गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा ग्राम अनन्तपुरा एवं उम्मेदगंज की उक्त 96 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु सहमति दी जाती है।

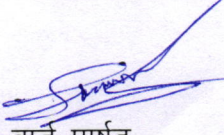

 आयुक्त,
 न.नि. कोटा


 उपवन संरक्षक,
 कोटा


 उपखण्ड अधिकारी
 कोटा


 सचिव,
 कृ०उ०म०सं०


 वाई पार्षद
 (रमिया पगन)


 वाई पार्षद
 (सुनील मीणा)


 जिला कलक्टर
 कोटा

कार्यालय उप जिला कलक्टर, एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

क्रमांक: वनाधिकार/2017/1771

दिनांक:- 21/12/17

निमित्त:-

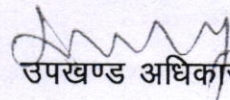
श्रीमान जिला कलक्टर महोदय
कोटा

विषय :- उपखण्ड स्तरीय समिति की मिटिंग दिनांक 28.11.2017 में की गई भामाशाह मण्डी यार्ड के दक्षिण की ओर वर्तमान यार्ड से सटी हुई वन विभाग की 96.00 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अभिशंषा के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 28.11.2017 को कोटा जिले में अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 व नियम 2008 की क्रियान्विति हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें शहरी क्षेत्र के म्यूनिसिपल क्षेत्र के लिए गठित मौहल्ला स्तरीय समिति (जहां पर वन क्षेत्र प्रभावित है) की सभा में पारित प्रस्ताव जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली ग्राम उम्मेदगंज व अनन्तपुरा के राजस्व नक्शों में अंकित रेल्वेलाइन के आधार पर प्रस्तावित विस्तार हेतु भूमि का चिन्हिकरण किया गया है। भूमि ग्राम अनन्तपुरा के ख०न० 286,287,288,284/316 व ग्राम उम्मेदगंज के ख०न० 500,499,501 में प्रस्तावित है। वर्तमान में स्थापित मण्डी का मिलान राजस्व नक्शों में करने पर ख०न० 286,287 व 284/316 लगभग 22.00 है० भाग में मण्डी समिति काबिज होना पाया गया, जबकि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के खाते दर्ज है। उल्लेखनीय है कि उक्त खसरा नम्बरान की वर्णित 74.00 है० वन भूमि के बदले राजस्व विभाग की ग्राम गुरायता तहसील सांगोद की 74.00 है० भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव विचाराधीन है। भामाशाह मण्डी द्वारा 74.00 है० के अतिरिक्त 22.00 है० भूमि ओर चाही गई है अर्थात् 96.00 है० भूमि की आवश्यकता है। अतः उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमेटी को प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त वन भूमि पर किसी प्रकार के दावों लम्बित नहीं है। अतः सर्वसम्मति से उक्त प्रस्तावित वन भूमि में भामाशाह मण्डी के विस्तार हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

संलग्न: 1. बैठक कार्यवाही विवरण


उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 25.10.2017 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, कोटा की अध्यक्षता में कलेक्टर कोटा में भामाशाह मण्डी यार्ड के दक्षिण के ओर वर्तमान यार्ड से सटी हुई वन विभाग की भूमि में से 74.00 हैक्टे० भूमि वन विभाग से आवंटित कराये जाने हेतु मण्डी समिति द्वारा कार्यवाही की जा रही है के सम्बन्ध में निम्न अधिकारियों की बैठक आहूत की गई:-

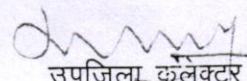
- | | |
|---------------------------|--|
| 1. श्री मोहनलाल प्रतिहार | उपखण्ड अधिकारी, कोटा |
| 2. श्री एल.एस. राणावत | उप वन संरक्षक, वन विभाग, कोटा |
| 3. श्री डा० आर.पी. कुमावत | सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा |
| 4. श्री गजेन्द्र सिंह | तहसीलदार, लाडपुरा कोटा |
| 5. श्री सुबोध शुक्ला | प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, कोटा |

भामाशाह मण्डी के प्रस्तावित विस्तार हेतु ग्राम उम्मेदगंज व अनन्तपुरा के राजस्व नक्शों में अंकित रेल्वेलाइन के आधार पर प्रस्तावित विस्तार हेतु भूमि का चिन्हीकरण किया गया। भूमि ग्राम अनन्तपुरा के खसरा नं. 286, 287, 288, 284/316 व ग्राम उम्मेदगंज के खसरा न. 500, 499, 501 में प्रस्तावित हैं।

वर्तमान में स्थापित मण्डी का मिलान राजस्व नक्शों से कटने पर खसरा नम्बर 286 एवं 287 व 284/316 लगभग 22 हैक्टे० भाग में मण्डी समिति काबिज होना पाया गया है, जबकि उक्त खसरान की भूमि राजस्व रेकार्ड में वन विभाग के खाते दर्ज है।

इस संबंध में सचिव कृषि उपज मण्डी समिति कोटा द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डी समिति वर्तमान में जहाँ काबिज है उस भूमि को मण्डी द्वारा रीको से क्रय किया गया है जिसका भुगतान भी रीको कोटा को किया गया है। यदि वन विभाग उक्त खसरों की पूरी भूमि का शुल्क वसूल करता है तो मण्डी समिति द्वारा उस भूमि का पूर्व में ही रीको कोटा को भुगतान किया हुआ होने के कारण दोबारा भुगतान नहीं कर पायेगी।

वन विभाग को राशि का भुगतान करने के संबंध में निर्धारित किया गया है कि फिलहाल मण्डी समिति उक्त खसरों की पूर्ण भूमि का प्रस्ताव तैयार कर भिजवा कर भूमि आवंटित करवा लें। इसके पश्चात् 22 हैक्टे० भूमि की राशि के समायोजन हेतु मण्डी समिति को रीको द्वारा भुगतान किया जावेगा जिसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।


उपजिला कलेक्टर
कोटा
10/10/2017

कार्यालय उप जिला कलक्टर, एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 28-11-2017 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 की क्रियान्वित हेतु भामाशाह मण्डी यार्ड के दक्षिण की ओर वर्तमान यार्ड से सटी हुई वन विभाग की भूमि में से 74.00 है० भूमि वन विभाग से आवंटित कराये जाने हेतु मण्डी समिति द्वारा कार्यवाही की जा रही है, के संबंध में शहरी क्षेत्र के म्यूनिसिपल क्षेत्र के लिए मोहल्ला स्तरीय समिति (जहां फोरेस्ट एरिया प्रभावित है) के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति नगर निगम कोटा क्षेत्र की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुए :-

क्र०सं०	नाम सदस्यगण	हस्ताक्षर	मोबाईल नम्बर
1	श्री सुरेश मीणा वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा		8829057791
2	श्रीमति सुनीता मीणा वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा		7073365970
3	श्री ओमकृष्ण गुंजल वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा		9660-11111
4	श्री जय सिंह सहायक वन संरक्षक वन मण्डल कोटा		9166482161
5	रिकल गुप्ता, राजस्व अधिकारी नगर निगम कोटा		9462332262

बैठक में उपस्थित सदस्यों को उक्त अधिनियम की जानकारी दी गई। भामाशाह मण्डी के प्रस्तावित विस्तार हेतु ग्राम उम्मेदगंज व अनन्तपुरा के राजस्व नक्शों में अंकित रेल्वेलाइन के आधार पर प्रस्तावित विस्तार हेतु भूमि का चिन्हिकरण किया गया है। भूमि ग्राम अनन्तपुरा के ख०न० 286,287,288,284/316 व ग्राम उम्मेदगंज के ख०न० 500,499,501 में प्रस्तावित है। वर्तमान में स्थापित मण्डी का मिलान राजस्व नक्शों में करने पर ख०न० 286,287 व 284/316 लगभग 22.00 है० भाग में मण्डी समिति काबिज होना पाया गया, जबकि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के खाते दर्ज है। उल्लेखनीय है कि उक्त खसरा नम्बरान की वर्णित 74.00 है० वन भूमि के बदले राजस्व विभाग की ग्राम गुरायता तहसील सांगोद की 74.00 है० भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव विचाराधीन है। भामाशाह मण्डी द्वारा 74.00 है० के अतिरिक्त 22.00 है० भूमि और चाही गई है अर्थात् 96.00 है० भूमि की आवश्यकता है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 की धारा 3(2) एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त वन भूमि पर किसी प्रकार के दावे इस उपखण्ड स्तरीय समिति नगर निगम क्षेत्र कोटा के समक्ष लम्बित नहीं है।

अतः बैठक में सर्वसम्मति से भामाशाह मण्डी के विस्तार हेतु 74.00 है० भूमि के अतिरिक्त 22.00 है० भूमि अर्थात् 96.00 है० भूमि की आवश्यकता है। इस हेतु उक्त डायवर्जन में उपरोक्त वन भूमि के उपयोग व उपभोग हेतु समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भिजवाने की अभिशंषा की गई।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

उपखण्ड अधिकारी

एवं अध्यक्ष वनाधिकार उपखण्ड स्तरीय समिति
नगर निगम क्षेत्र, कोटा

क्रमांक:वनाधिकार/2017/ 1763

दिनांक:- 20/12/17

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1-श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, कोटा

2-श्रीसदस्य।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कार्यालय नगर निगम कोटा(राज0)

क्रमांक:-ननिको/जनस्वा/2017/ 4927-30

दिनांक:- 12/12/17

✓ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
कोटा (राज0)

विषय :- वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मोहल्ला स्तरीय समिति की रिपोर्ट
बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन क्षेत्र में आने वाली 96 हेक्टेयर भूमि में जिसमें भामाशाह कृषि उपजमण्डी समिति (अनाज) कोटा जो वन विभाग के नाम दर्ज है। वर्तमान में इसमें विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की पात्रता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 के अनुसरण में नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र के लिये वार्ड निवासियों की मोहल्ला स्तरीय समिति का गठन किया गया था।

उक्त समिति द्वारा दिनांक 11.12.2017 को बैठक आयोजित कर प्रकरण में अपनी अनुसंशा प्रस्तुत की गई है जो पत्र के साथ संलग्न कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

संलग्न :- उक्तानुसार

क्रमांक:-ननिको/जनस्वा/2017/ 4927-30

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड कार्यालय कोटा।
2. सचिव कृषि उपजमण्डी (अनाज) कोटा।
3. गार्ड फाईल।

उपायुक्त
नगर निगम कोटा

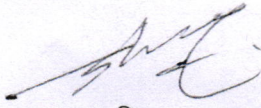
दिनांक:- 12/12/17

उपायुक्त
नगर निगम कोटा

मौहल्ला स्तरीय समिति कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 11/12/17 को कोटा जिले में अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 व नियम 2008 की क्रियान्विति हेतु शहरी क्षेत्र के म्यूनिसिपल क्षेत्र के लिये गठित मौहल्ला स्तरीय समिति (जहां पर वन क्षेत्र प्रभावित है) की सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली 96 हैक्टर भूमि में भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जो वन विभाग के नाम से दर्ज है, वर्तमान में इसकी आवश्यकता के लिये विस्तार प्रस्तावित है। अतः सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा का मूलभूत सुविधाओं हेतु विस्तार आवश्यक है जिस हेतु उक्त विस्तार उपयोक्त वन भूमि के उपयोग व उपभोग में सभा को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रस्ताव शहरी क्षेत्र के म्यूनिसिपल क्षेत्र के लिये गठित मौहल्ला स्तरीय समिति के रजिस्टर में क्रमांक 1.0.....11..... पर इन्द्राज है तथा सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति दर्ज कराई गई है।



सचिव

मौहल्ला स्तरीय समिति

(हरीश धोष)

कार्यवाहक मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक

नगर निगम कोटा



अध्यक्ष

मौहल्ला स्तरीय समिति

(रामलाल भील)

वार्ड पार्षद वार्ड नं. 6

नगर निगम कोटा